महिला सशक्तीकरण : अतीत से वर्तमान तक

–डॉ. पंकज कुमार
+2 शिक्षक, राजनीति विज्ञान
बी.बी. कॉलेजिएट, मुजफ्फरपुर

सार संक्षेप : पिछले कुछ दशकों से भारत में 'महिला सशक्तीकरण' शब्द की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि 21वीं शताब्दी के सबसे चर्चित शब्दों में 'महिला सशक्तीकरण' शब्द को शुमार किया जा सकता है। यह यूं ही अचानक नहीं हुआ है। वर्षों की लम्बी यात्रा के बाद इस शब्द को लोकप्रियता प्राप्त हो सकी है। अब एक सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या शब्द मात्र की लोकप्रियता उसकी वास्तविक स्थिति को दर्शा पाती है? जवाब आसान नहीं है। बहरहाल, भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जब तक इनका संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता, तब तक 'महिला सशक्तीकरण' शब्द सोशल मीडिया से लेकर अखबार के पन्नों तक चर्चित होती रहेगी। बड़े–बड़े डिबेट होते रहेंगे, आरोप–प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और इस सबके बीच महिलाएँ अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करती नजर आती रहेंगी। सच्चाई तो यही है कि महिलाएँ आज भी सशक्तीकरण की राह तलाशती नजर आ रही हैं। बस उन्हें उस वक्त का इंतजार है कि कब उनकी तलाश पूरी हो पाती है।

महिला सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सभी दृष्टिकोण से सशक्त होना है यानि पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करना है। इसका वास्तविक अर्थ महिलाओं की उस क्षमता से है जिससे इनमें इतनी योग्यता आ जाती है कि वे अपने जीवन से जुड़े तमाम निर्णय स्वयं ले सकें। पुरुषों का सहारा लेकर यानि वैशाखी के सहारे जीवन–यापन करना महिला सशक्तीकरण की राह में सबसे बड़ा अवरोध है।

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि मानव जाति के उद्‌भव के समय से ही महिलाओं पर पक्षपात और अनाचार हावी होते रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित अन्य रचनाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आदि काल से ही महिलाओं का शोषण होता आया है। उनके शोषक कोई और नहीं बल्कि उनके परिवार, उनका समाज एवं नाते रिश्तेदार ही हैं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान थी। बाद में उनकी स्थिति में ह्रास होता चला गया। स्वतंत्रता के उपरांत अनेक प्रयासों के बाद अब यह आभास होने लगा है कि

आने वाले वक्त में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होगी। महिला सशक्तीकरण वक्त की आवश्यकता है। इसे नजरअंदाज करके सशक्त भारत की कल्पना भी असंभव है।

मुख्य शब्द–सशक्तीकरण, लैंगिक असमानता, सामाजिक, संविधान, संघर्ष, सफलता, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग।

उद्देश्य–(1) महिला सशक्तीकरण को परिभाषित करना।

(2) महिलाओं की स्थिति का विभिन्न कालों के परिप्रेक्ष्य में पता लगाना।

(3) महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक स्थिति का पता लगाना

(4) महिला सशक्तीकरण के लिये किये गये संघर्षों का पता लगाना।

(5) महिला सशक्तीकरण की दिशा में किये गये सरकारी प्रयासों को चिन्हित करना।

परिचय–इतिहास के विभिन्न कालखंडों से गुजरते हुए जब हम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक स्थिति पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि महिलाएँ सदैव भेदभाव का शिकार रही हैं। उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। इसके मानक पुरुषों के अनुरूप रहते हैं। तटस्थ मानकों की व्यवस्थ पुरुषों के अनुकूल हो जाती है।[2] कानून में हमेशा माना जाता है कि जब तक कोई खास बात न हो तब तक पुलिंग में स्त्रीलिंग सम्मिलित माना जायेगा।[3] पुरुष प्रधान समाज में महिलाएँ दोहन, शोषण का शिकार होती आयी है। यह सिर्फ भारतीय समाज तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया भर के देशों में यह समस्या विद्यमान है। मानव सभ्यता के विकास में लम्बा वक्त लगा है। विश्व में ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं है जिसके विकास में महिलाओं का योगदान न हो। अपने असीम योगदान के बावजूद महिलाएँ सामाजिक सोपान के सबसे निचले क्रम में डाल दी गई। उन्हें मजबूर किया गया, शोषित एवं सुविधाओं से वंचित जिन्दगी जीने के लिए। आज इस बात की आवश्यकता है कि महिलाएँ सबल हों। उन्हें पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का मौका मिले। सामान्य शब्दों में महिलाओं का सशक्तीकरण हो। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने को सशक्त महसूस करें। वे अपने को महफूज महसूस करें एवं सदैव की भाँति राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में अपना बहुमूल्य योदान दें। महिला सशक्तीकरण के द्वारा राष्ट्र का सशक्तीकरण किया जा सकता है। पश्चिम के विभिन्न विकसित देश इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं।

महिला सशक्तीकरण की परिभाषा—महिला सशक्तीकरण की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसके अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है।[4] सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। महिला सशक्तीकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।[5]

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति—महिलाओं का कोई इतिहास नहीं लिखा गया है लिहाजा, कब, क्यों और कैसे महिलाएँ अपनी वर्तमान स्थिति पर पहुँच गई इसका व्यवस्थित लेखा—जोखा उपलब्ध नहीं है।[6] लिहाजा उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही महिलाओं की स्थिति को बयां किया जा सकता है।

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति—प्राचीन काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ों की सभ्यताओं में महिलाओं के अधिकार व उसकी स्थिति के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते हैं, किन्तु जो मिलते हैं उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी।[7] संभवतः उस समय मातृसत्तात्मक परिवार थे। भारत के अलावे संसार की प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं में मातृ—देवी की पूजा की प्रथा विद्यमान थी।[9]

वैदिक काल में भारतीय महिलाएँ—वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति संतोषप्रद थी। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में नारी की शक्ति, सामर्थ्य और अधिकारों का वर्णन है। ऋग्वैदिक काल में पिता की सम्पत्ति में पुत्री का हक था। महिलाएँ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। वे शास्त्रार्थ करती थी। इस काल में सामान्यतः एक पत्नी—प्रथा की व्यवस्था थी किन्तु कहीं—कहीं बहुपत्नी की प्रथा भी प्रचलित थी।[10]

महिलाएँ शिक्षा ग्रहण करती थी। लोपमुद्रा, अपालाश्रेयी आदि अनेक स्त्रियाँ वैदिक सूत्रों की ऋषि हैं। गोधा, घोषा, विश्ववारा, अदिति, सरमा आदि कितनी ही महिला ऋषियों का उल्लेख प्राचीन साहित्य में आया है। गार्गी, मैत्रेयी आदि तत्त्वचिंतक स्त्रियों का उपनिषदों में भी जिक्र किया गया है।[11] इस काल में पर्दा प्रथा का अभाव था।

उत्तरवैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति संतोषप्रद थी। पुरुषों के समान महिलाएँ भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर विद्याध्ययन करती थी। कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी सुदृढ़ थी।

रामायण एवं महाभारत काल–वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल की तुलना में रामायण और महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति में काफी ह्रास देखने को मिलता है। रामायण काल में बहु–विवाह का प्रचलन आरंभ हो गया। इस काल में पुरुष को देवतुल्य माना गया और नारी को मात्र उसकी छाया। महिला को पति की सेविका माना गया।

महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय बना दी गई। महाभारत में द्रोपदी का उल्लेख मिलता है। द्रोपदी का विवाह पांडव यानि कुंती के पाँच बेटों के साथ कर दिय गया। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। नियोग प्रथा यानि पति के मर जाने के बाद स्त्री देवर के साथ नियोग करके संतानोत्पत्ति कर सकती थी, का प्रचलन भी इस काल में प्रारंभ हो गया। वैदिक युग में पर्दे की प्रथा नहीं थी पर महाभारत काल में इसका सूत्रपात हो गया। स्पष्ट है कि इस युग में भारतीय समाज में महिलाओं की वह स्थिति नहीं रह गई थी, जो वैदिक काल में थी।

मध्य युग में महिलाओं की स्थिति–मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। इन्हें भोग्या समझे जाने लगा। पर्दा प्रथा का प्रचलन आम हो गया। मुस्लिम महिलाओं को नकाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। विधवा विवाह को बुरा माने जाने लगा। इस काल की सबसे बुरी बात यह थी कि सती प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को सती होने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। भारतीय समाज में महिलाओं की जो हीन स्थिति बाद में हो गई, उसका प्रारंभ इसी युग में हो गया।

ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति–मध्ययुग एवं मुगलकालीन युग में महिलाएँ पर्दा, जौहर, सती और आत्महत्या के झंझावात में फंस गई थी। ब्रिटिश काल से उनके उत्थान का दौर प्रारंभ हो गया। विज्ञान की प्रगति के साथ–साथ नारी उत्थान की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। शिक्षा का प्रसार किया गया। सती प्रथा का अंत कर दिया गया एवं विधवा विवाह का प्रचलन आरंभ हो गया। ये सब ऐसे सामाजिक सुधार थे जिनसे महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया। शिक्षा का द्वार महिलाओं के लिए खोल दिया गया। यह अलग बात है कि महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की तुलना में नगण्य रही। कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में ही महिला सशक्तीकरण के बीज डाल दिये गये जो स्वतंत्र भारत में वृक्ष का रूप धारण करता नजर आ रहा है।

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति–परिवर्तन, सुधार, सशक्तीकरण लम्बी चलने वाली प्रक्रिया है, यह एकाएक संभव नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किये गये। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। अनेक योजनाएँ

चलाई गई। दहेज प्रथा, बाल विवाह को निषेध कर दिया गया। अनेक महिला संगठन अस्तित्व में आये। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी एवं गैर–सरकारी दोनों स्तरों पर प्रयास किये गये। भारत में महिला आंदोलन के लिए 1970 का दशक बहुत महत्त्वपूर्ण साबित हुआ। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गई।

महिला सशक्तिकरण के लिए उठाये गये कदम–

स्वतंत्र भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए उनके योजनाएँ चलाई गई।[12] निःसंदेह इन योजनाओं से उनका सबलीकरण हुआ है। इन महत्त्वपूर्ण योजनाओं पर प्रकाश डालना लाजिमी है।

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारंभ करने का वर्ष	योजना का मुख्य उद्देश्य
1.	डवकारा योजना	1982	ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके लिए मूलभूत सेवाएँ प्रदान करना।
2.	महिला समख्या योजना	1989	महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में संलग्न करना।
3.	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजना	1993	शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
4.	महिला समृद्धि योजना	1993	ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालना और उन्हें सशक्त बनाना।
5.	इंदिरा महिला योजना	1995	ग्रामीण और शहरी गंदी बस्तियों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्ववलंबन प्रदान करना।
6.	ग्रामीण महिला विकास	1996	ग्रामीण महिलाओं को जागरूक बनाना तथा भेदभाव को समाप्त करना।
7.	राज राजेश्वरी बीमा	1997	गरीबी रेखा से नीचे के महिलाओं के लिए बिना किसी प्रीमियम के विकलांगता की स्थिति में एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना।
8.	बालिका समृद्धि योजना	1997	गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में जन्म लेने वाली बालिका की माता को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
9.	डवाकुआ योजना	1997	शहरी क्षेत्र में गरीब महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक विकास उपलब्ध कराना।
10.	स्वयंसिद्धी योजना	2001	महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु आर्थिक गतिविधियाँ अपनाने।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई गई है। इन योजनाओं से निःसंदेह महिलाओं को सबलीकरण प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष–महिला सशक्तीकरण की एक आवश्यक शर्त है लैंगिक असमानता की खाई को पाटना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लैंगिक असमानता में काफी कमी आयी है। फिर भी, इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। महिला सशक्तीकरण के लिए यह आवश्यक है कि समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाये। दहेज प्रथा, यौन हिंसा, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी, अशिक्षा, भ्रूण हत्या,

लैंगिक भेदभाव को समाप्त किये बगैर समरस समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। समरस समाज के अभाव में महिलाओं का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता।

महिला सशक्तीकरण के लिए यह आवश्यक है कि महिलाएँ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों। यौन हिंसा एवं यौन अपराधों पर नियंत्रण किये बगैर महिला सशक्तीकरण की बातें निरर्थक साबित होंगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा कुछ अधिनियम पारित किये गये हैं जिनमें अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, दहेज प्रथा की समाप्ति अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम 1987, लिंग परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 आदि प्रमुख है। आज आवश्यकता है राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले, महात्मा गाँधी, भीमराव अम्बेडकर जैसे महान समाज सुधारकों की जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठायी। 21 वीं सदी के भारत को आज भी ऐसे महापुरुषों की तलाश है। अगर यह तलाश पूरी हो पाती है तो निःसंदेह भारतीय महिलाओं का सशक्तीकरण हो जायेगा अन्यथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में पूर्व की भाँति प्रयास जारी रहेंगे।

संदर्भ–

1. https://googleweblight.com
2. वही
3. वही
4. वही
5. वही
6. जोशी गोपा : भारत में स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ.–11
7. डॉ. मेघवाल कुसुम : भारतीय नारी के उद्धारक बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.–14
8. वही
9. प्राचीन भारत–सत्येतु विद्यालंकार, पृ.–55
10. डॉ. मेघवाल कुसुम, वही, पृ.–14
11. प्राचीन भारत–सत्येतु विद्यालंकार, पृ.–55
12. योजना, मासिक पत्रिका